संख्या 01 /2018/01/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800/(54)/2001

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2018

विषय- जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन 16 न्यायालय कक्षों के निर्माण कार्य की गति को बनाये रखने हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश स0-1527/सात-न्याय-9(बजट)-2012-800(54)/2001, दिनांक 15-01-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद बलरामपुर में 16 न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु रू0 1750.71 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0350.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुन: शासनादेश स0-709/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2001, दिनांक 29-03-2014 के द्वारा रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश स0-1263/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2001, दिनांक 04-08-2014 के द्वारा रू0 600.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुन- प्रश्नगत प्रायोजना को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-92/2015/1261/सात-न्याय-9 (बजट)-2015-800/(54)/2001 दिनांक 13 जुलाई, 2015 के माध्यम से रू0 3378.57 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ शासनादेश संख्या-98/2015/1846/सात-न्याय-9 (बजट)-2015-800/(54)/2001 दिनांक 15 जुलाई, 2015 के माध्यम से रू0 931.43 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति निर्गत की गयी है। पुन: शासनादेश संख्या-112/2017/209/सात-न्याय-9 (बजट)-2017-800/(54)/2001 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से रू0 250.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैा इस प्रकार पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 3378.57 लाख के सापेक्ष कुल रू0 2231.43 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की गति को बनाये रखने हेतु पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू03378.57 लाख के सापेक्ष **रू0 978.21 लाख (रू0 नौ करोड़ अटठहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र)**की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1-चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कार्यदायी संस्था नामित है, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इकाई- बहराइच को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2-स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-92/2015/1261/सात-न्याय-9 (बजट)-2015-800/(54)/2001 दिनांक 13 जुलाई, 2015 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें -0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा

4- उपर्युक्त स्वीकृति शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में निहित निर्देशों के अनुसार दी जा रही हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>सं0- 01 /2018/01(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।
4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5- जनपद न्यायाधीश बलरामपुर ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
9- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई- बहराइच ।
10- वित्त ई- 12।सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।